UPMZ010008992026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मुजफफरनगर

उपस्थित : बीरेन्द्र कुमार सिंह, एच.जे.एस.

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 538 सन 2026

फुरकान पुत्र स्व. शफीक
निवासी मौहल्ला काजियान सरवट, थाना सिविल लाईन्स,
जनपद मुजफफरनगर

—आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

—विपक्षी

अपराध संख्या— 93 सन 2022
धारा —420, 406, 504, 506
भारतीय दंड संहिता
थाना— सिविल लाईन्स
जनपद— मुजफ्फरनगर

07.03.2026

प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त की ओर से थाना सिविल लाईन्स के अपराध संख्या— 93 सन 2022 धारा —420, 406, 504, 506 भारतीय दंड संहिता के मामले में इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि, आवेदक/अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है बल्कि उसे इस मामले में रंजिश के कारण झूठा फँसाया गया है। यह भी कहा गया है कि सह अभियुक्त जाहिद की जमानत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है तथा मुख्य अभियुक्त द्वारा वादी को विवादित प्लॉट का बैनामा भी कर दिया गया है। इसी प्रकार यह भी कहा गया है कि कथित अपराध में अधिक्तम सात वर्ष के कारावास का प्रावधान है तथा मामले में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अंत में कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त संभ्रांत परिवार के हैं तथा उसकी समाज में प्रतिष्ठा है। वह एक स्थाई निवासी है तथा उसके भागने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, न ही वह पूर्व सजायाफता है। इस प्रकार अग्रिम जमानत स्वीकार करने की मांग की गयी।

2. अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक द्वारा जमानत का विरोध किया गया तथा कहा गया कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्व गंभीर प्रकृति के आरोप हैं। इस प्रकार अपराध को गंभीर प्रकृति का बताते हुए जमानत निरस्त करने की मांग की गयी।

Digitally signed by BIRENDRA KUMAR SINGH
Date: 2026.03.07 17:36:21 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

3. उभयपक्षों को अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना तथा तलबीदा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

4. अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के संदर्भ में निम्न तथ्य विचारणीय हैं :–

1. अभियोग की प्रकृति एवं गंभीरता,

2. प्रथम सूचना रिपोर्ट की परिस्थिति,

3. अभियुक्त का पूर्ववृत्त, जिसमें यह तथ्य भी सम्मिलित है कि, क्या वह किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध पर पहले ही कारावास भुगत चुका है।

4. न्याय से भागने की संभाव्यता, और

5. जहां अभियुक्त को उसे इस प्रकार गिरफ्तार कराकर क्षति पहुँचाने या अपमानित के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया हो।

6. सामाजिक स्थिति/जांच में सहयोग की प्रवृत्ति।

5. प्राथमिकी के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादी मुकदमा मौहम्मद हारूण द्वारा घटना का दिनांक व समय अंकित न करते हुए दिनांक 08.03.2022 को समय 14.15 बजे संबंधित थाना सिविल लाईन्स पर प्राथमिकी धारा 156 (3) दंड प्रक्रिया संहिता के प्रार्थना पत्र के आधार पर इस आशय की दर्ज करायी गयी कि वादी मुकदमा व उसके साथी मौहम्मद आसिफ के सामने मौहम्मद जाहिद ने दिनांक 25.07.2018 को प्रातः आठ बजे एक प्लॉट ढाई सौ गज खसरा नम्बर 946 स्थित मौहल्ला शिव नगर रकबा ग्राम सरवट बाहर हदूद परगना व तहसील सदर जनपद मुजफफरनगर बेचने का प्रस्ताव रखा जो एग्रीमेंट का गवाह भी है। प्लॉट की कीमत 8,75,000/– रूपये तय की गयी जिसके संबंध मे रजिस्टर्ड इकरारनामा दिनांकित 30.07.2018 समक्ष गवाहान तहरीर व तकमील हुआ। वादी मुकदमा द्वारा अंकन साढे तीन लाख रूपये बतौर बयाना मौ. जाहिद को समक्ष रजिस्ट्रार अदा किये। इकरारनामा बही संख्या 1 जिल्द संख्या 10682 के पृष्ठ संख्या 165 से 180 तक क्रमांक 7038 पर दिनांक 31.07.2018 को रजिस्ट्रीकृत है तथा बैनामे की तिथि 29.07.2020 तय की गयी। बैनामे की तिथि से पूर्व वादी व उसके साथी ने मौ. जाहिद को बैनामा करने के लिये कहा तो उसने टाल मटोल किया और कहा कि अभी उसे बीमारी के कारण पैसों की आवश्यक्ता है। दिनांक 22.07.2020 को बतौर बयाना दो लाख रूपये प्राप्त करके एक रसीद समक्ष गवाह मौहम्मद अहमद व मंगता एवं नजम लिखवाई गयी तथा बैनामा की तिथि 29.07.2021 तय की गयी। वादी व उसके साथी ने तहसील में अपनी हाजिरी कायम करायी परंतु जाहिद जानबूझकर नहीं आया। वादी व उसके साथी ने दिनांक 30.07.2021 को सुबह 8.10 बजे जाहिद से बात की तो उसने कहा कि उसने धोखा देकर पैसे हडप लिये हैं तथा उसने प्लॉट का एग्रीमेंट/बैनामा किसी ओर के नाम कर दिया है अब वे उसे प्लॉट का बैनामा नहीं करेंगे और न ही उसके साढे पांच लाख रूपया वापिस करेंगे। इस षडयंत्र में जाहिद के साथ फुरकान भी शामिल था। वादी व उसके साथी ने जाहिद व फुरकान को ऐसा करने से मना किया तो

उसके साथ उन्होंने गाली गलौज करना शुरू कर दिया और उसे जान से मारने की धमकी दी। इस प्रकार जाहिर व फुरकान ने वादी व उसके साथी के साथ धोखाधडी व षडयंत्र कर साढे पांच लाख रूपये हडप लिये।

6. इस प्रकार कथानक अनुसार आवेदक/अभियुक्त के विरूद्व सह अभियुक्त के साथ मिलकर धोखाधडी करते हुए वादी मुकदमा को प्लॉट बेचने के नाम पर साढे पांच लाख रूपया हडपने का आरोप बताया गया है। प्राथमिकी अनुसार कथित बयाने के तौर पर अंकन साढे पांच लाख रूपया सह अभियुक्त जाहिद को दिया जाना कहा जाता है। तलबीदा पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि विवेचक द्वारा आवेदक/अभियुक्त को धारा 41–क दंड प्रक्रिया संहिता का नोटिस दिया गया है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा विवेचना में असहयेाग किये जाने का कोई कथन नहीं है। विवेचनोपरांत मामले में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। पूर्व आदेश दिनांकित 11.02.2026 के संबंध में आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस आशय का पृष्ठांकन आदेश पत्र पर किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त की ओर से पूर्व में कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र कहीं प्रस्तुत नहीं किया गया है। संबधित थाने की आख्या के अनुसार आवेदक/अभियुक्त का इस मामले के अलावा अन्य कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना, अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत किये जाने का पर्याप्त व युक्ति–युक्त आधार मौजूद है। तद्नुसार अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **फुरकान पुत्र स्वत्र शफीक** को अंतर्गत अपराध संख्या–93 सन 2022 धारा –420, 406, 504, 506 भारतीय दंड संहिता, थाना सिविल लाईन्स, जनपद मुजफफरनगर के मामले में उसके द्वारा अंकन 50,000/–50,000/–पचास–पचास हजार रूपये के दो विश्वसनीय प्रतिभू एवं समान धनराशि का व्यक्तिगत बन्ध पत्र संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के आधार पर प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तो के अंतर्गत अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है :–

1. यह कि आवेदक/अभियुक्त विवेचक/न्यायालय द्वारा तलब किये जाने व नियत की गयी तिथियों पर उपस्थित होगा तथा विचारण में सहयेाग करेगा।

2. यह कि आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्ररेणा, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके।

3. यह कि आवेदक/अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोडेगा।

4. यह कि आवेदक/अभियुक्त बंध पत्र की शर्तो का कठोर पालन करेगा।

(क) ऐसे व्यक्ति इस आशय के अधीन निष्पादित बंध पत्र की शर्तो के अनुसार हाजिर होगा।

(ख) ऐसे व्यक्ति उस अपराध जैसा, जिसको करने का उन पर अभियोग या सन्देह है, कोई अपराध नहीं करेगा।

(ग) ऐसे व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिये मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरण नहीं करेंगे, धमकी या वचन नहीं देंगे या साक्ष्य को नहीं बिगाडेगा।

5. आवेदक/अभियुक्त बंध पत्र दाखिल करेगा–''अभियुक्त विचारण के पूर्ण होंनें के छह माह के अन्दर यदि उच्चतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किसी अपील या याचिका में न्यायालय द्वारा नोटिस जारी होता है, तो न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।''

6. आवेदक/अभियुक्त विवेचना/विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

7. आवेदक/अभियुक्त इस आशय का एक बंध पत्र दाखिल करेगा कि, वह विचारण/साक्ष्य के दौरान जब भी कोई साक्षी हाजिर होगा, स्थगन नहीं लेगा। इस शर्त की अवहेलना होने पर संबंधित न्यायालय को यह अधिकार होगा कि, संबंधित न्यायालय अभियुक्त द्वारा जमानत की स्वतंत्रता के दुरूपयोग के कारण उसके विरूद्व विधिसम्मत आदेश पारित करे।

(बीरेन्द्र कुमार सिंह)

दिनांकः 07.03.2026

सत्र न्यायाधीश,
मुजफ्फरनगर